

**प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**  
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/97235/FZB/FAIZABAD/861/CFO  
दिनांक : 06-10-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **AMAR PUBLIC SCHOOL** पता **497 MI,BHIKHAPUR PARGANA HAWELI AWADH,AYODHYA** तहसील - **SADAR** प्लाट एरिया **8220 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2299.46** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
A	2	0	7.88 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **AMAR PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **29-12-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **GIRISH KUMAR PANDEY** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **29-12-2023** से **28-12-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **AMAR PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **AMAR PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**Note :** This certificate is issued only for ground + first floor covered area as per uploaded map, on the basis of inspection report of FSSO-PL, if violation found in the said condition, issued NOC stands cancel. Issued as per GO Sr no-187 /छ: पु०-8 -2022 /905 (34 )/2016 टी० सी० of dated 07-January 2022 all evacuation and fire fighting system must be in working condition all the time and a trained fire safety supervisor should be assigned for these duties.

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**



**मुख्य अग्निशमन अधिकारी**

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**MAHENDER PRATAP SINGH**

8E9BBB28262642B46BF5D897F74D72B9EA69EC

29-12-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **29-12-2023**  
स्थान : **FAIZABAD**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.